भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 68

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल संचयन अवसंरचना

68. श्री हँसमुखभाई एस. पटेलः
श्री रतन सिंह मगनसिंह राठौड़ः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. सुजय विखे पाटीलः
प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री कृष्णपाल सिंह यादवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में शहरी और ग्रामीण स्तर पर जलसंचयन अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त राज्यों के वर्षा बहुल क्षेत्रों में भारी मात्रा में वर्षा जल के भंडारण हेतु अवसंरचना विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसे कदमों से भू-जल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का देश में राज्य और जमीनी स्तर पर वर्षा जल संचयन पद्धति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श वर्षाजल संचयन अधिनियम बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): जल राज्य का विषय है तथा केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण और इसके संचयन सहित जल संरक्षण और पुनर्भरण पर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। हालाँकि, भारत सरकार लोगों की सक्रिय भागीदारी सहित केंद्र और राज्यों की योजनाओं के अभिसरण के साथ वर्षा जल संरक्षण और इसके संचयन के लिए विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देती है। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों/पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) 'जल शक्ति अभियान' (जेएसए) को वर्ष 2019 में देश के 256 जल-संकटग्रस्त जिलों के 1,592 प्रखंडों में शुरू किया गया था, जो 2021 से केंद्र और राज्यों की योजनाओं के अभिसरण

के साथ जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए-सीटीआर) अभियान के रूप में एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। इस श्रृंखला में चौथा, जेएसए: सीटीआर 2023 को दिनांक 04.03.2023 को "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ शुरू किया गया है। इस अभियान में देश भर के सभी जिलों (सभी प्रखंडों और नगर पालिकाओं) के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर किया गया है, जिसमें जल जीवन मिशन द्वारा चिन्हित किए गए 150 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेएसए: सीटीआर अभियान (जेएसए: सीटीआर पोर्टल - jsactr.mowr.gov.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार) के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण किए गए जल संरक्षण और जल संचयन कार्यों का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(ii) ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं से संबंधित कार्यों का प्रावधान है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में पूर्ण किए गए जल संरक्षण तथा जल संचयन कार्यों और उनके तहत किए गए व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में है ।

(iii) राष्ट्रीय जल नीति (2012) में *अन्य बातों के साथ-साथ* जल के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा का समर्थन किया गया है तथा वर्षा जल संचयन, वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग और अन्य प्रबंधन उपायों के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

(iv) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि में पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, टिकाऊ जल संरक्षण के तरीकों को शुरू करना आदि था। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान स्वीकृत/व्यय की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(v) भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को लागू करने हेतु अधिकृत है जो मुख्य रूप से वर्षा आधारित/निम्नीकृत भूमि के विकास पर केंद्रित है। **'जल संचयन संरचना'** का निर्माण/पुनरुद्धार इस योजना के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक के तहत गतिविधियों में से एक है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत केंद्र द्वारा जारी धनराशि **अनुलग्नक-IV** में दी गई है।

(ख): प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कदमों/पहलों के कार्यान्वयन से वर्षा बाहुल्य क्षेत्रों सहित देश भर में वर्षा जल भंडारण के लिए बुनियादी अवसंरचना का विकास होता है। हालाँकि, सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश भर में वर्षा जल के भंडारण के लिए बुनियादी अवसंरचना विकसित किया जाए जो देश की जल सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।

(ग): सरकार द्वारा उपरोक्त कदम भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। हालाँकि, कई अन्य कारकों जैसे वार्षिक वर्षा, संरक्षित जल की मात्रा, फसल पैटर्न, भौगोलिक परिस्थितियाँ, क्षेत्र की कृषि-जलवायु-जल विद्युत विशेषताएँ, मिट्टी की नमी का संरक्षण, स्थानीय स्थलाकृति आदि, वर्षा जल संचयन के साथ मिलकर भूजल स्तर को बढ़ाने में योगदान करते हैं।

(घ) वर्तमान में, जल शक्ति मंत्रालय के पास मॉडल वर्षा जल संचयन अधिनियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक परिचारित किया है ताकि वे इसके विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम हो सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है। अभी तक, 21 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून को अपनाया और लागू किया है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल) 2016 को इसे सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।

*****

"जल संचयन अवसंरचना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68 जिसका उत्तर 20.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

		जल शक्ति अभियान : कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2021 22.03.2021 से 28.03.2022 तक			
क्र.सं.	**पहल**	**गुजरात**	**महाराष्ट्र**	**उत्तर प्रदेश**	**मध्य प्रदेश**
1	जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन	12435	4187	40317	106484
2	पारंपरिक जलाशयों का नवीनीकरण	6735	1197	17781	3812
3	पुन: उपयोग एवं पुनर्भरण संरचनाएँ	1081	7788	16996	19225
4	वाटरशेड विकास	16338	6543	174341	97822
	जल संबंधी कुल कार्य	36,589	19,715	2,49,435	2,27,343

स्रोत: jsactr.mowr.gov.in

		जल शक्ति अभियान : कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2022 29.03.2022 से 03.03.2023 तक			
क्र.सं.	**पहल**	**गुजरात**	**महाराष्ट्र**	**उत्तर पदेश**	**मध्य प्रदेश**
1	जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन	16233	15427	65088	229649
2	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	7503	4624	26217	6942
3	पुन: उपयोग एवं पुनर्भरण संरचनाएँ	21205	27905	27361	25909
4	वाटरशेड विकास	21827	8291	300233	65403
	जल संबंधी कुल कार्य	66,768	56247	4,18,899	3,27,903

स्रोत: jsactr.mowr.gov.in

		जल शक्ति अभियान : कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2023 04.03.2023 से 18.07.2023 तक			
क्र.सं.	**पहल**	**गुजरात**	**महाराष्ट्र**	**उत्तर प्रदेश**	**मध्य प्रदेश**
1	जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन	2057	7331	30522	18749
2	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	2027	2225	10443	4071
3	पुन: उपयोग एवं पुनर्भरण संरचनाएँ	3963	14731	21945	8402
4	वाटरशेड विकास	9949	2298	100543	21421
	जल संबंधी कुल कार्य	17,996	26,585	1,63,453	52643

स्रोत: jsactr.mowr.gov.in

****

जल संचयन अवसंरचना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68 जिसका उत्तर 20.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक II

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत पूर्ण किए गए जल संरक्षण और जल संचयन कार्यों और उनके व्यय का विवरण

(13 जुलाई 2023 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2020-21	
		पूर्ण	
		कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रूपये में)
1	गुजरात	9930	26957.93
2	मध्य प्रदेश	66764	313293.87
3	महाराष्ट्र	5779	21268.64
4	उत्तर प्रदेश	38686	108468.89

क्र.सं.	राज्य	2021-22	
		पूर्ण	
		कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रूपये में)
1	गुजरात	7943	32624.03
2	मध्य प्रदेश	84264	257430.45
3	महाराष्ट्र	7237	19924.76
4	उत्तर प्रदेश	29697	43994.49

क्र.सं.	राज्य	2022-23	
		पूर्ण	
		कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रूपये में)
1	गुजरात	8967	19709.05
2	मध्य प्रदेश	74898	142778.27
3	महाराष्ट्र	6597	15668.52
4	उत्तर प्रदेश	53081	46200.74

क्र.सं.	राज्य	2023-24	
		पूर्ण	
		कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रूपये में)
1	गुजरात	1494	1254.88
2	मध्य प्रदेश	22283	12798.77
3	महाराष्ट्र	1237	2199.73
4	उत्तर पदेश	9891	1593.64

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग

****

जल संचयन अवसंरचना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68 जिसका उत्तर 20.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-III

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)के तहत राज्यवार स्वीकृत/खर्च की गई धनराशि की स्थिति										
कुल जारी सीए (करोड़ रुपये में)										
क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित प्रदेश**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2016-17 से 2022-23**	**2023-24 (23 मार्च)**
1	गुजरात	961.88	1410.49	1047.29	485.35	177.96	357.28	61.15	4501.40	0.00
2	मध्य प्रदेश	300.13	181.27	81.01	26.45	19.96	59.47	87.86	756.15	0.00
3	महाराष्ट्र	379.86	363.02	527.54	291.68	301.85	279.07	122.74	2265.76	0.00
4	उत्तर प्रदेश	135.63	65.60	397.16	407.68	391.84	0.00	23.91	1421.82	0.00

जल संचयन अवसंरचना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68 जिसका उत्तर 20.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- IV

वाटरशेड विकास घटक -प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**केन्द्रीय निधि जारी की गई (करोड़ रुपए में)**	
		डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई1.0 (2009-10 से 2020-21 तक)	**28.02.2023 तक 2021-22 और 2022-23 के दौरान डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0**
1	गुजरात	1366.57	25.7927
2	मध्य प्रदेश	1716.048	247.6502
3	महाराष्ट्र	2516.947	158.6336
4	उत्तर प्रदेश	808.49	21.7767

स्रोत: भूमि संसाधन विभाग

*****